



राजस्थान सरकार

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्रीश्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

जन- जन के साथ, विकास और अंत्योदय का मार्ग

ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों
का
शुभारम्भ

17 सितम्बर, 2025

शिविरों में होने वाले प्रमुख कार्य

♦ ग्रामीण सेवा शिविर ♦

- रास्ते खोलना, आपसी सहमति से विभाजन एवं नामान्तकरण।
- लम्बित नोटिसों की तामीली एवं फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण करवाया जाना।
- मूल निवास, जाति प्रमाण-पत्र एवं स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व पट्टे बनाना एवं वितरण करना, किसान गिरदावरी एप द्वारा गिरदावरी करवाना।
- दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना हेतु 10 हजार और गांवों का बीपीएल सर्वे।
- पशुओं की जांच, इलाज एवं टीकाकरण।
- विधायक, सांसद स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा स्कूलों इत्यादि की मरम्मत हेतु स्वीकृतियां एवं कार्य।
- वृक्षारोपण, नमो वन को विकसित करना एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्य।
- क्षतिग्रस्त स्कूलों, आंगनवाडी, छात्रावासों एवं सड़कों के सुधार के कार्य।
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़े कार्य।
- पीएमजेवाई कार्ड बनाना एवं वितरित करना एवं बीज मिनी किट वितरण।
- PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY एवं आदि कर्मयोगी अभियान के तहत गतिविधियाँ।
- NFSA अन्तर्गत लंबित प्रकरणों का निस्तारण, सदस्यों की ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग करना।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना एवं UDID कार्ड बनाने से सम्बंधित कार्य।
- महिलाओं के लिए मैटरनिटी न्यूट्रिशन योजना।
- जनहानि, पशुहानि एवं मकानों के नुकसान के आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना।

♦ शहरी सेवा शिविर ♦

- सफाई व्यवस्था में सुधार एवं ब्लैक स्पोटों की समाप्ति।
- सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के तहत बंद पड़ी लाइटों को चालू करना।
- राईजिंग राजस्थान के प्राप्त निवेश प्रस्तावों हेतु भूमि चिन्हीकरण, स्वीकृतियाँ।
- जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन, फायर एन. ओ. सी., ट्रेड लाईसेंस, साईनेज लाईसेंस, सीवर कनेक्शन, ओ. एफ. सी-मोबाइल टावर एन.ओ.सी./ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र आदि जारी करना।
- नमो पार्क को विकसित करना एवं सड़क मरम्मत/पेच वर्क के कार्य करना।
- आवारा पशुओं को पकड़ना।
- पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण कर, विकसित करना।
- नालियों की मरम्मत, फेरोकवर व मैन हॉल्स की मरम्मत, सीवर लाईन के लीकेज की मरम्मत।
- पीएम और सीएम स्वनिधि योजना के तहत आवेदन प्राप्त करना एवं लम्बित प्रकरणों को ऋण वितरण करना।
- कृषि भूमि के पर बसी आबादियों में लीज होल्ड/फ्री होल्ड पट्टे जारी करना।
- लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र, नामान्तरण एवं नाम हस्तातन्तरण।
- निकायों की योजनाओं में विक्रय आवंटित भूमि/भूखण्ड के लीज होल्ड/फ्री होल्ड पट्टे जारी करना।
- लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे (आवंटन नीति, कच्ची बस्ती, स्टेट ग्रांट के पट्टे, नियम 1974 के नियम 18 से 19 में आवंटित भूमि को छोड़कर)।
- अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन आदि।



वक्फ अमैंडमेंट एक्ट के तीन विवादास्पद प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शेष अधिनियम के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की तीन प्रमुख धाराओं पर अंतरिम रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एंजी मसीह की पीठ ने कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन जिन धाराओं पर संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, उन पर निर्णय आने तक उन्हें स्थगित रखा जाएगा।

अधिनियम में जिलाधिकारी को दिए गए अत्यधिक अधिकारों पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा: “कलेक्टर को नागरिकों के निजी अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे सत्ता के पृथक्करण (सेपरेशन ऑफ पावर्स) के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा कोई निर्णय नहीं होता, तब तक किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनाया जा सकता। इसलिए, कलेक्टर को दिए गए ऐसे अधिकारों वाली धारा स्थगित की जाती है।”

नए कानून के अनुसार, जिलाधिकारी को वक्फ संपत्ति के

- **चीफ जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की बेंच** ने जिन तीन प्रावधानों पर रोक लगाई है, उनमें पहला कलैक्टर को दिए गए “अत्यधिक” अधिकारों से संबंधित है। कोर्ट ने कहा, कलैक्टर को नागरिकों के निजी अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह “सेपरेशन ऑफ पावर्स” के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। जब तक इस प्रावधान पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक इस धारा को स्थगित किया जाता है।
- दूसरा प्रावधान वक्फ बोर्ड तथा केन्द्रीय वक्फ काउन्सिल में गैर मुस्लिम सदस्यों से संबंधित था, कोर्ट ने इसे भी स्थगित कर दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी, जिसके तहत 5 साल से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है।

स्वामित्व से जुड़े विवादों में अंतिम निर्णायक बना दिया गया था। अधिनियम में कहा गया था: “यदि जिलाधिकारी की रिपोर्ट में उल्लेख है कि संपत्ति (पूरी या आंशिक रूप से) विवादित है या सरकारी संपत्ति है, तो उस हिस्से को वक्फ के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विवाद का निपटारा न हो जाए।”

इस प्रावधान का मुस्लिम संगठनों ने विरोध करते हुए कहा था कि इससे वक्फ संपत्तियों पर अवैध दावों की बाढ़ आ जाएगी।

पीठ ने यह भी कहा कि किसी वक्फ बोर्ड में तीन से अधिक गैर-

मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए और केंद्रीय वक्फ परिषद में चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने यह भी कहा कि कानून में जो प्रावधान था कि “कोई व्यक्ति जिसने कम से कम पांच वर्षों तक इस्लाम का पालन किया हो, वही वक्फ घोषित कर सकता है,” उसे भी स्थगित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “ऐसे किसी तंत्र के बिना यह प्रावधान मनमानी शक्ति के प्रयोग का कारण बन सकता है।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि उसका रुख हमेशा यह मानकर चलता है कि कोई भी कानून संविधान के अनुकूल होता है, और किसी अधिनियम में हस्तक्षेप

“बहुत ही दुर्लभ मामलों में” किया जाना चाहिए।

1995 के वक्फ कानून में संशोधन, जिसे अप्रैल में संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई, के बाद देश भर में विरोध-प्रदर्शन हुए। मुस्लिम संगठनों ने इसे संविधान-विरोधी बताते हुए वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने साजिश करार दिया था। वहीं सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि कई वक्फ संपत्तियां भूमि विवादों और अतिक्रमण में फंसी हैं, और नया कानून इन्हें सुलझाने के लिए है।

वक्फ संशोधन अधिनियम को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘आयकर रिटर्न जमा करने की डैड लाइन नहीं बढ़ाई गई है’

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डैड लाइन 30 सितम्बर किए जाने की वायरल खबर को फर्ज़ी करार दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15, सितंबर। अगर आपने भी यह वायरल हुई खबर देखी है कि इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितम्बर तक बढ़ा दी गई है, तो सतर्क हो जाइए, यह दावा फर्जी है।

इनकम टैक्स विभाग ने पुष्टि की है कि आधिकारिक अंतिम तिथि सोमवार, 15 सितम्बर ही है।

वॉट्सएप और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे एक भ्रामक संदेश में दावा किया गया है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की तारीख 30 सितम्बर तक बढ़ा दी है।

वित्त मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि पहले से बढ़ाई गई 15 सितम्बर की तारीख के बाद कोई

- हाल ही में वॉट्सएप और सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है कि आयकर रिटर्न की डैड लाइन, जो पहले 15 सितम्बर थी, को बढ़ाकर 30 कर दिया गया है।
- वित्त मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई सरकारी नोटिस जारी नहीं किया गया है।

आधिकारिक आदेश या अधिसूचना जारी नहीं की गई है। विभाग ने इस फर्जी प्रेस विज्ञापन को ऑनलाइन साझा किया है, जिस पर “फेक” (फर्जी) की लाल मुहर लगी हुई है ताकि करदाताओं को सचेत किया जा सके।

एक बयान में विभाग ने कहा: “एक फर्जी खबर प्रसारित हो रही है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि (जो पहले 31.07.2025 थी और फिर

15.09.2025 तक बढ़ाई गई) को और बढ़ाकर 30.09.2025 कर दिया गया है। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही बनी हुई है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक “इनकम टैक्स इंडिया अपडेट” पर ही भरोसा करें।”

15 सितम्बर की अंतिम तिथि उन करदाताओं पर लागू होती है, जो टैक्स (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले का हाई कोर्ट ने केस बंद किया

जयपुर, 15 सितंबर राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े एसीबी प्रकरण में, एसीबी

- अदालत ने कहा एसीबी ने अपराध को प्रमाणित नहीं मानते हुए एफआर पेश की है।

की ओर से पेश एफआर के आधार पर केस को बंद कर दिया है। जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने ये आदेश भरत मालानी व अशोक सिंह की अपराधिक याचिका का निस्तारण करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि एसीबी ने स्वयं ही प्रकरण में अपराध बनना प्रमाणित नहीं मानते हुए एफआर पेश की है। ऐसे में एफआईआर को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पांच साल पहले पेश याचिका में एसीबी की ओर से दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘कोई भी भारतीय क्रिकेटर पाकिस्तान के खिलाफ खेलना नहीं चाहता था’

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने यह भी कहा कि बीसीसीआई ने भारतीय टीम को मजबूर किया था, पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 सितम्बर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने दावा किया है कि एशिया कप 2025 की टीम में शामिल किसी भी भारतीय खिलाड़ी की दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के दबाव में खिलाड़ियों को मैदान में उतरना पड़ा।

रविवार को एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने केवल खेल पर ध्यान केन्द्रित रखा। खेल के दौरान बल्ले और गेंद के बीच की प्रतिस्पर्धा को छोड़कर दोनों टीमों के बीच कोई मेलजोल नहीं हुआ। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना भारतीय टीम का पूर्व नियोजित निर्णय था,

- स्पोर्ट्स तक चैनल से एक वार्ता में सुरेश रैना ने दावा किया कि एक भी भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए मन से तैयार नहीं था।
- भारतीय टीम की अनिच्छा पूरे मैच के दौरान नज़र आई। जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बात करना तो दूर औपचारिक “हैंड शेक” तक नहीं किया।

जिससे सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाक टीम हैरान रह गई। अब यह भी सामने आया है कि भारतीय खिलाड़ी यह मैच खेलना ही नहीं चाहते थे। स्पोर्ट्स तक के साथ बातचीत में पूर्व भारतीय स्टार क्रिकेटर सुरेश रैना ने कहा, “मेरी जानकारी के अनुसार, टीम का कोई भी खिलाड़ी एशिया कप खेलना नहीं चाहता था। एक तरह से वे मजबूर थे क्योंकि बीसीसीआई ने टूर्नामेंट खेलने के लिए हमी भर दी

थी।” रैना ने कहा, “मुझे दुख है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खेला, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम से व्यक्तिगत राय ली जाती, तो वे मना कर देते।

किसी का मन नहीं था खेलने का।” पहलगाम आतंकी हमला, और उसके बाद शुरू हुए “ऑपरेशन सिंदूर” के चलते, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते एक अपूर्व

निचले स्तर पर पहुंच गए। दोनों देशों के बीच के तनाव को महेनज़र रखते हुये, यह भी सवाल उठने लगे थे कि इस साल एशिया कप होगा भी या नहीं। लेकिन अंततः बीसीसीआई और अन्य क्रिकेट बोर्डों ने टूर्नामेंट कराये जाने पर सहमति जताई।

बीसीसीआई द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने की मंजूरी दिए जाने के बाद, मैच के बहिष्कार की मांग भी उठी थी। सोशल मीडिया पर भी इस मैच को लेकर गहरी नाराजगी देखी गई। फिर भी भारतीय टीम ने शोर को नज़रअंदाज़ कर निर्धारित मैच खेलने का साहस दिखाया।

भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर मैदान पर जीत तो हासिल की ही, साथ ही पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता का संदेश भी दिया।

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 15 मूक बधिर बच्चे हवाई यात्रा करेंगे

- नयी दिल्ली, 15 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर 15 मूक-बधिर बच्चे हवाई यात्रा करेंगे। पूर्वी दिल्ली के पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल के प्रयास से पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा
- ये बच्चे तीन शिक्षिकाओं के साथ 16 सितम्बर को हवाई जहाज से जयपुर जायेंगे।

स्थित प्रमिला बाई मूक-बधिर स्कूल के 15 बच्चे और 3 शिक्षिकाएं हवाई जहाज से जयपुर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का भरपूर स्वागत किया

विपक्ष के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके सोच व तर्क की पुष्टि है, वक्फ संशोधन विधेयक असंवैधानिक है तथा मुसलमानों को लक्ष्य बनाकर गढ़ा गया है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15, सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा इस साल अप्रैल में पारित नए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की कुछ अहम धाराओं के लागू होने पर आज रोक लगा दी। विपक्ष ने इस अंतरिम आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह साबित करता है कि उनका यह कहना सही था कि यह क़ानून असंवैधानिक है और इसे जानबूझकर एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए लाया गया है।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम की प्रमुख धाराएँ, जिन पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे, अब रोक दी गई हैं,

क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनमें से कुछ प्रावधान शक्तियों के “मनमाने” इस्तेमाल का रास्ता खोलते हैं।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह की पीठ ने कहा कि पूरे क़ानून पर रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ धाराओं को सुरक्षा चाहिए। इन धाराओं को तब तक रोका गया है, जब तक इस अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं हो जाता।

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को, संसद में इस क़ानून का विरोध करने वालों की जीत बताया।

- पर, सरकार का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूरे विधेयक के क्रियान्वयन पर “स्टे” लगाने की ज़रूरत नहीं, पर, विधेयक के कुछ अंश पर “पॉज़” का बटन लगाने की ज़रूरत है, जब तक उस याचिका पर निर्णय नहीं होता जिसमें विधेयक की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है।
- जयराम रमेश, एम.के. स्टालिन, के.सी. वेणुगोपाल, तृणमूल सांसद सागरिका घोष, अखिलेश यादव, जमीअत-ए-हिन्द नेता मौलाना अरशद मदनी, ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम “स्टे” का स्वागत करते हुए कहा कि इस आदेश से यह साबित हुआ कि जनता में जो विश्वास व भरोसा सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, वो जायज़ है।

उन्होंने कहा, आज का आदेश न सिर्फ़ उन दलों की जीत है, जिन्होंने संसद में इस मनमाने क़ानून का विरोध किया था, बल्कि उन सभी संयुक्त

संसदीय समिति के सदस्यों की भी जीत है, जिन्होंने विस्तार से असहमति दर्ज कराई थी, जिसे नज़रअंदाज़ किया गया था, पर अब वो सही साबित हुए हैं।

उन्होंने आगे कहा, इस आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर की शक्तियों पर रोक लगाई है, मौजूदा वक्फ संपत्तियों को संदिग्ध दावों से सुरक्षित किया है और

उन्होंने आगे कहा, आज का आदेश जनता की उस उम्मीद और भरोसे को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही’

- नयी दिल्ली, 15 सितंबर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उच्चतम न्यायालय के वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि
- संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। यह निर्णय लोकतंत्र के हित में है।

शेष अदालत का निर्णय लोकतंत्र के हित में है। रिजिजू ने वक्फ संशोधन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरकार ने 2 2 2 आर.ए.एस. का तबादला कर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया

वाणिज्यिक कर विभाग के उपायुक्त मोहन दान रत्नू बने मुख्यमंत्री भजनलाल के विशेषाधिकारी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए सोमवार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर.ए.एस.) के 222 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर और बीकानेर की 9 यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रार बदले गए हैं। साथ ही वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त मोहन दान रत्नू को मुख्यमंत्री भजन लाल का विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं अशोक कुमार योगी वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के विशिष्ट सहायक (एसए) के पद पर पोस्टिंग दी गई है। शुद्ध के लिए युद्ध और मिलावटी वस्तु के छापों से चर्चा में आए पंकज ओझा को खाद्य सुरक्षा निदेशालय के अतिरिक्त आयुक्त से हटाकर उन्हें गौ-पालन निदेशक के पद पर लगाया गया है। गौरतलब है कि पंकज ओझा ने फूड सेफ्टी विभाग में रहते बड़े स्तर पर छापेमारी की थी। इसके साथ ही नगर निगम ग्रेटर और हैरिटेज में अतिरिक्त आयुक्त के साथ-साथ कई उपायुक्तों का तबादला किया है। जयपुर विकास प्राधिकरण में भी अतिरिक्त आयुक्त लगाते हुए कई नये उपायुक्तों को लगाया गया है। इस आदेश में संयुक्त सचिव स्तर के अफसरों का भी तबादल किया है। जिसमें दिनेश कुमार जाँगिड को

- **खाद्य सुरक्षा निदेशालय के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा को गौ-पालन निदेशक बनाया**
- **जयपुर ग्रेटर के अतिरिक्त आयुक्त सीमा कुमार बने स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त निदेशक**
- **हैरिटेज निगम के अतिरिक्त कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह यादव को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में लगाया**
- **जयपुर विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त आयुक्त समेत कई नये उपायुक्त लगाए, ग्रेटर-हैरिटेज के उपायुक्त भी बदले**

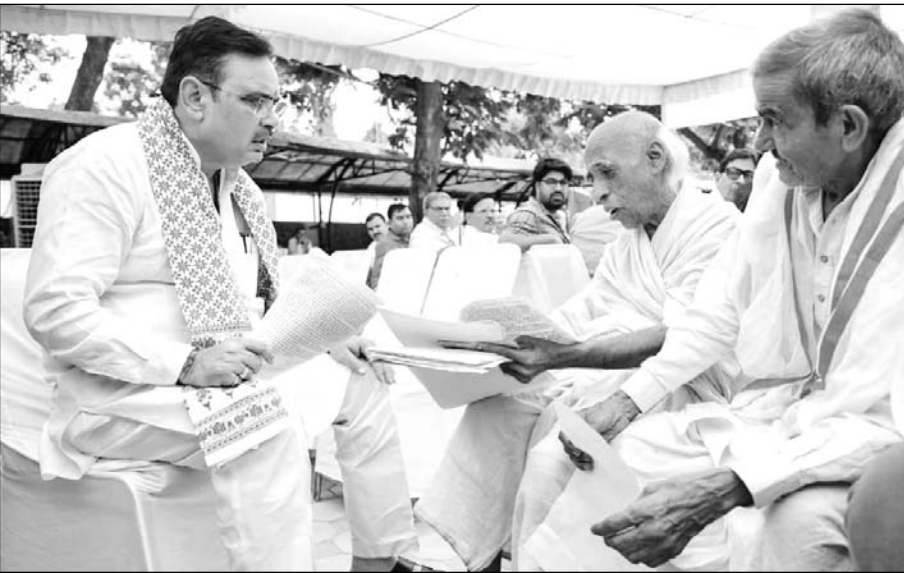
सहाकरिता विभाग से पशुपालन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति दी है। असलम शेर खान को जल संसाधन विभाग से अल्पसंख्यक मामला विभाग में संयुक्त सचिव, नरेंद्र कुमार बंसल को कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव से नगर निगम ग्रेटर में अतिरिक्त आयुक्त की जिम्मेदारी दी है। आनंदीलाल वैष्णव को प्रसारण निगम के सचिव से गृह विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर लगाया है। खान विभाग की संयुक्त सचिव आशु चौधरी को राजस्थान यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार पद पर लगाया गया है। राजपाल सिंह का सीईओ जिला परिषद कोटा से कोटा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के पद पर तबादल किया है।

कोटा यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार भावना शर्मा को अब राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है। अशोक कुमार को अतिरिक्त आयुक्त देवस्थान विभाग से महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में रजिस्ट्रार के पद पर लगाया है। राजस्व अपील अधिकारी सुरेश कुमार नवल को भरतपुर विकास प्राधिकरण में सचिव के पद पर लगाया गया है। अरविंद सारस्वत को खान विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त सीमा कुमार को स्थानीय निकाय विभाग में अतिरिक्त निदेशक बनाया

गया है। सीमा कुमार की जगह नरेंद्र कुमार बंसल को कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव से तबादला करके नगर निगम ग्रेटर में अतिरिक्त आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हैरिटेज नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव का तबादला करके उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास) के अतिरिक्त निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं हैरिटेज निगम के उपायुक्त युगान्तर शर्मा को अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जयपुर दक्षिण के पद पर लगाया है। प्रवीण कुमार द्वितीय, बिजेन्द्र सिंह और राजेन्द्र कुमार द्वितीय को हैरिटेज निगम में उपायुक्त, नीलम मीणा को ग्रेटर निगम में उपायुक्त के पद पर लगाया है। इसी तरह प्रतिभा पारीक को जयपुर विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त आयुक्त के रित्त पद पर लगाया है। रविन्द्र कुमार शर्मा, देविका तोमर, खेमाराम यादव, ओम प्रभा, अश्वदीप बराड, सीमा खेतान और पुखराज कासोटिया को जयपुर विकास प्राधिकरण में उपायुक्त लगाया है। साथ ही महावीर सिंह द्वितीय को जेडीए में प्राधिकृत अधिकारी के पद पर जिम्मेदारी सौंपी है। आर.ए.एस. गोपाल सिंह को राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड जयपुर में सचिव तथा डॉ. अशोक कुमार चतुर्थ

को उपसचिव के पद पर लगाया है। इसके अलावा घुसकांड में एसीबी में ट्रेप हो चुके पुष्कर मित्तल को झालावाड़ के मनोहर थाना में एसडीएम लगाया है। साथ ही एपीओ चल रही कश्मीर कौर रॉन को गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के रजिस्ट्रार पद पर पोस्टिंग दी गई है। डॉ गुंजन सोनी को जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर और ममता यादव को बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी जयपुर के रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है। सावन कुमार चायल को आयुर्वेद विभाग के उपसचिव से राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के रजिस्ट्रार पद पर लगाया है। झुंझुनू एसडीएम पंकज शर्मा का तबादला वेटरनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर के रजिस्ट्रार के पद पर किया गया है। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर की रजिस्ट्रार प्रिया भार्गव को स्वास्थ्य विभाग में उप सचिव, मत्स्य यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार लोकाेश कुमार मीणा को राजस्थान उपनिदेशक के पद पर लगाया है। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार हरतिमा को उपायुक्त सीएडी बीकानेर लगाया। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा की रजिस्ट्रार सतिता को जिला आवकरी अधिकारी कोटा के पद पर लगाया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुनी लोगों की समस्याएं



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित नियमित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित नियमित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पहुंचाना है। इसके लिए प्रदेश में पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदशील प्रशासनिक तंत्र विकसित किया गया है, जिससे आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।
जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और

दिव्यांगजनों की परिवेदनाओं को प्राथमिकता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की विभागीय स्तर पर निगरानी की जाए और परिवाहियों को समाधान की जानकारी समय-समय पर दी जाए। उन्होंने आपसी समझाइश से विवादों के समाधान को प्राथमिकता देने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को नियमित रूप से जनसुनवाई आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह

सुनिश्चित किया जाए कि आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस जनसुनवाई में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कृषि, गृह, राजस्व, सिंचाई, परिवहन, पशुपालन, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, मनरेगा, ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित जनसमस्याएं उठाई गईं, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टरों का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने किया स्मारिका का विमोचन

जयपुर (कासं)। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किए गए विकास कार्यों को समाहित कर एक स्मारिका का प्रकाशन किया गया। इस स्मारिका में ग्रेटर निगम के वार्ड 84 में हुए बहुआयामी विकास कार्यों के साथ जन उपयोगी एवं अन्य जानकारी का भी समावेश किया गया है।
स्मारिका का प्रकाशन चेयरमैन पार्षद वार्ड 84 अभय पुरोहित द्वारा करवाया गया। जिसका विमोचन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर किया।

इस अवसर पर नगर निगम ग्रेटर जयपुर के उपमहापौर पुनीत कर्णावत, लक्ष्मीकांत भारद्वाज प्रवक्ता एवं पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा, अभय पुरोहित,



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रेटर निगम जयपुर के चेयरमैन अभय पुरोहित द्वारा सांगानेर के विकास कार्यों पर तैयार स्मारिका का विमोचन किया।

एसएफएस डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष किशन लाल छतानी, सीए ललित चांदगोटिया, श्री दिगंबर जैन अध्यक्ष डॉ. राजेश जैन काला समाज एसएफएस की निवर्तमान उपस्थित रहे।

उधारी चुकाने का झांसा दे महिला से दुष्कर्म

जयपुर। शिवदासपुरा थाना इलाके में एक परिचित ने महिला से रुपए उधार लिए और झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोपी से नकदी लौटाना का दवाव बनाया तो आरोपी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोपी की धमकी से परेशान महिला ने थाने पहुंच घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़ित महिला के बयानों के आधार पर आरोपी पक्ष के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि महिला का आरोप है कि परिचित होने के कारण दोनों में बातचीत बची और आरोपी का घर पर आना-जाना था। आरोपी ने वर्ष 2019 में महिला से उधार रुपए लिए थे। जिसके बाद वो दो-तीन सात पर नकदी लौटाने के लिए झांसे देता रहा। आरोपी ने पीड़िता को प्रेम जाल में फंसा कर उसके साथ दुष्कर्म किया।

शेखावाटी की हवेलियां हमारी अनमोल धरोहर : मुख्यमंत्री

भविष्य में कोई भी हवेली नहीं तोड़ी जाए, जिला कलक्टर करें सुनिश्चित : भजनलाल शर्मा

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शेखावाटी की हवेलियां प्रदेश की अनमोल एवं अद्वितीय धरोहर हैं। राज्य सरकार इस समृद्ध विरासत की सुरक्षा व रखरखाव के लिए हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में शेखावाटी विरासत संरक्षण संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट वर्ष 2025-26 में शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना की घोषणा की गई है। इस योजना में झुंझुनू, सीकर और चूरू में अब तक 662 ऐतिहासिक हवेलियों को चिन्हित किया है। इन हवेलियों को हैरिटेज वॉक, सांस्कृतिक केंद्र, आर्ट गैलरी, होमस्टे और टूरिज्म हब के रूप

में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई भी हवेली नहीं तोड़ी जाए। शेखावाटी क्षेत्र की धरती अपने आप में कला, संस्कृति और आस्था का अद्वितीय संगम है। ऐसे में शेखावाटी क्षेत्र आज पर्यटन में सिरमौर बन रहा है। इस वर्ष के छह माह में शेखावाटी के तीन जिलों सीकर, झुंझुनू और चूरू में लगभग एक करोड़ 90 लाख देशी पर्यटक और 33 हजार से अधिक विदेशी पर्यटक आए। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में किसानों की समृद्धि के लिए राज्य सरकार यमुना जल समझौते को मूर्त रूप दे रही है। इसी तरह खादूरथामजी मंदिर एवं

सालासर बालाजी मंदिर को धार्मिक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों को कुल 30 हैरिटेज प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। ये प्रमाणपत्र हवेलियों को संरक्षण से जोड़ते हुए उन्हें पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी के रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, खेतडी, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और महनसर कस्बों की विरासत के संरक्षण एवं विकास के लिए विभिन्न विभागों की ज्वाइंट कमेटी गठित की जाएगी, जो इन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना एवं पर्यटन विकास के लिए दीर्घकालिक कार्ययोजना बनाकर कार्य करेगी।

दो मोबाइल चोर गिरफ्तार

जयपुर। रामनगरिया थाना पुलिस ने दो मोबाइल चोरों सौरभ उर्फ सागर मीना (21) निवासी टोडाभीम जिला करौली हाल खानाबदोश जगतपुरा और सलताज खान (22) निवासी टोडाभीम जिला करौली हाल लुनियावास खोह नागोरियान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित नशे के पैसों के लिए चोरी करते थे। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

रक्तदान अमृत महोत्सवमें 3 लाख यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 75 देशों में 7500 से अधिक रक्तदान शिविर लगाएंगे



ग्रेटर नगर निगम जयपुर के उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् की ओर से आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया।

जयपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितम्बर को अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् की ओर से रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0 का आयोजन किया जायेगा। भारत सहित 75 देशों में 7500 से अधिक रक्तदान शिविरों का आयोजन बुधवार को करके नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा।
अभियान का लक्ष्य 3 लाख यूनिट रक्त संग्रह कर सेवा का अद्वितीय उद्घारण प्रस्तुत करना है। देशभर में 4 हजार रक्त बैंक, 5 हजार डॉक्टर, 25 हजार लैब टेक्नीशियन और 1 लाख स्वयंसेवक इस अभियान से जुड़कर सेवा में भाग ले रहे हैं। यह जानकारी मंगलवार को जयपुर ग्रेटर नगर निगम के उप महापौर पुनीत कर्णावत, लक्ष्मी इंडिया फाइनैस के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक बैद, जयपुर परिषद अध्यक्ष रवि छाजेड, राष्ट्रीय एमबीडीटी टीम एवं जयपुर कैप के संयोजक सुरेंद्र नाहटा, जयपुर संभा के प्रभारी करण नाहटा, जयपुर परिषद् के मंत्री शरद बरडिया ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में दी।
उप महापौर पुनीत कर्णावत ने

बताया कि यह मुहिम रक्त की जरूरत है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, रेलवे पुलिस फ़ोर्स तथा एन.एस.एस सहित अनेक संस्थाएं इस अभियान का जेथो पुर हो रही हैं।
केन्द्रीय नेताओं जैसे जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी, पिपुष गोयल आदि का समर्थन प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव और खेल मंत्री मनसुख माण्डविया ने पूरे देश में अभियान का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं।
लक्ष्मी इंडिया फाइनैस के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक बैद ने बताया कि पिछले वर्षों में परिषद् ने 10 लाख से अधिक यूनिट रक्त संग्रहित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मान अर्जित किए हैं। वर्ष 2022 में 6149 शिविरों के माध्यम से 2.5 लाख यूनिट रक्त संग्रह कर ब्रिटिश संसद में रिकॉर्ड दर्ज कराया गया था। जयपुर शहर में 126 रक्तदान स्थलों पर कैप लगाए जाएंगे।

सड़क सुरक्षा सिर्फ पुलिस-प्रशासन ही नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी : उपमुख्यमंत्री

जयपुर । उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सड़क सुरक्षा सिर्फ प्रशासन की नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है। आमजन को चाहिए कि वे बिना हेलमेट चलने वालों को टोकें और उन्हें सुरक्षा के लिए प्रेरित करें, क्योंकि बात केवल चालान की नहीं, बल्कि जीवन बचाने की है। उपमुख्यमंत्री सोमवार को एआईसीटीई केंद्र, झालाना, जयपुर में सुरक्षित सड़क मार्ग (सुसमा) अभियान के समापन एवं अभियंता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थीं।
उन्होंने कहा कि आमजन की सक्रिय भागीदारी से ही सड़क सुरक्षा अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जा सकता है। उन्होंने अभियान में अभियंताओं, विशेष रूप से महिला अभियंताओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की यह पहल ऐतिहासिक है। मुख्य अभियंता (गुण नियंत्रण) जसवंत खत्री और उनकी टीम को उपमुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि यह अभियान जनता के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है।दिया कुमारी ने कहा कि यह अभियान आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए सभी सांसदों और विधायकों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने सोशल मीडिया



उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को एआईसीटीई केंद्र, झालाना, जयपुर में सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान के समापन समारोह को संबोधित किया ।

अकाउंट्स पर इस अभियान के प्रमुख बिंदु साझा करें, ताकि यह व्यापक स्तर पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सप्ताह में दो दिन सड़क निर्माण और रखरखाव कार्यों का भीतिक निरीक्षण करें और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट कहा

कि अब केवल फाइलों पर हस्ताक्षर से काम नहीं चलेगा। यदि निरीक्षण नहीं हुआ तो आगे कोई चेतावनी नहीं, सीधी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य अभियंता (गुण नियंत्रण) जसवंत खत्री ने बताया कि 9 अगस्त से 15 सितंबर तक चले इस अभियान में प्रदेश के 1097 संस्थानों के 4.18

एमडी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 लाख रुपये आंकी है। फिलहाल आरोपी तत्पर से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त (अपराध) अभिलेखित सिंह ने बताया कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ एमडी की सप्लाई करने वाले तत्पर कमलेश कुमार (21) निवासी चितलवाना जिला जालौर हाल मानसरोवर जयपुर को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस आरोपी के पास से 87.70 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी भी जब्त किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित अवैध मादक पदार्थ एमडी प्रेम बागडी निवासी जोधपुर से खरीदना बताया है।
जो अपनी महिला मित्र के सहयोग से जयपुर में अलग-अलग स्थानों पर सप्लाई करता है। पुलिस आरोपित तत्पर से अवैध मादक पदार्थ एमडी की खरीद-फरोख्त के बारे में पूछताछ कर रही है।

